उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U P POWER CORPORATION LTD.

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या–1358–कार्य/चौदह/पाकालि/2022–23–के/2008 दिनांक : 06 जुलाई, 2022

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं
केस्को कानपुर।

विषयः– **निविदा सूचनाओं को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के पत्र सं0–1013–कार्य/चौदह/पाकालि/2020 दिनांक 27.07.2020 (छायाप्रति संलग्न) जिसके द्वारा निविदा सूचनाओं को समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने वाली सूचना हेतु दिशा–निर्देशों के साथ ही इनके उल्लंघन की स्थिति में अतिरिक्त व्यय की गई धनराशि की वसूली किये जाने के आदेश भी निर्गत किये गये हैं, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

संज्ञान में आया है कि वितरण निगमों के कतिपय अधिकारियों द्वारा कारपोरेशन के उपरोक्त निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिस कारण कारपोरेशन को अनावश्वयक अतिरिक्त वित्तीय भार का वहन करना पड़ेगा।

अतः अनुरोध है कि कारपोरेशन द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 27.07.2020 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का प्रत्येक दशा में अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

इस पत्र के निर्गतन तिथि के पश्चात् यदि किसी अधिकारी द्वारा इनका उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो उनके विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये निविदा प्रकाशन पर हुये अतिरिक्त व्यय की गई धनराशि की वसूली उनके देयों से किया जाना भी सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– **यथोपरि।**

भवदीय,
/
(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या–1358(i)–कार्य/चौदह/पाकालि/2022 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित0/वाणि0/वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त निदेशकगण (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य), समस्त डिस्काम।
5. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध), समस्त डिस्काम।

क्रमश.......2

7. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), समस्त डिस्काम एवं केस्को कानपुर।
8. मुख्य अभियन्ता जानपद (पारेषण)–द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता, जानपद (मु0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार), समस्त डिस्काम।
11. अनु सचिव (विज्ञापन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. कट फाइल।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या–1013–कार्य/चौदह/पाकालि/2020–23–के/2008 — दिनांक 27 जुलाई, 2020

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल/पूर्वान्चल/दक्षिणान्चल/
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
मेरठ/वाराणसी/आगरा/लखनऊ,
एवं केस्को, कानपुर।

विषय–निविदा सूचनाओं को समाचार पत्रों मे प्रकाशित कराये जाने के सम्बन्ध मे दिशा–निर्देश।

महोदया/महोदय,

कारपोरेशन स्तर से पत्र सं0–01–ज0स0(विज्ञापन)/पा0का0लि0/2002–19–ज0स0/81 दिनांक 16.01.2002 एवं तत्क्रम मे पत्र सं0–77–ज0स0(विज्ञापन)/पा0का0लि0/2003–19–ज0स0/81 दिनांक 28.10.2003 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निविदा सूचना तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रकाशन हेतु दिशा–निर्देश दिये गये है। परन्तु संज्ञान मे आया है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसके सहयोगी वितरण निगमों द्वारा निविदा सूचनाओं को समाचार पत्रों मे प्रकाशित कराये जाने मे एकरूपता नही है।

उपरोक्त के तथा इसके दृष्टिगत कि वर्तमान मे निविदायें ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित की जा रही है, समाचार पत्रों मे प्रकाशित किये जाने वाली सूचना हेतु निम्नवत् दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने की आवश्यकता समझी गयी है :–

1. निविदा सूचना मे केवल निविदा संख्या, सामग्री का विवरण एवं मात्रा, धरोहर राशि, निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय तथा निविदा के प्रथम भाग को खोलने की तिथि एवं समय का ही उल्लेख किया जाये।
2. निविदा सूचना, निविदा प्रपत्र एवं अन्य सभी विवरण ई–टेण्डर वेबसाइट **www.etender.up.nic.in** पर तथा सम्बन्धित निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाये।
3. निविदा सूचना मे इस बात का भी उल्लेख किया जाये कि निविदा मे यदि कोई संशोधन अथवा निविदा खुलने की तिथि मे विस्तार होता है तो इसकी सूचना ई–टेण्डर वेबसाइट **www.etender.up.nic.in** पर तथा सम्बन्धित निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. निविदा सूचनाओं को हिन्दी भाषा मे 8–10 प्वाइंट टाईप मे समाचार पत्रों के केवल एक कॉलम मे प्रकाशित करायें।
5. हेडिंग व नीचे का नाम व पता यथासंभव एक ही लाइन मे रनिंग मैटर के रूप मे कम से कम स्थान मे प्रकाशित कराये।
6. यदि कई निविदायें एक साथ प्रकाशित की जानी है तो हेडिंग व नीचे का नाम व पता की पुनरावृत्ति न की जाये। निविदाओं के मध्य स्पष्ट सीमांकन किया जाये।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करे। अन्यथा की स्थिति मे यदि किसी अधिकारी द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए अतिरिक्त व्यय धनराशि की वसूली की जाये।

संलग्नक–यथोपरि।

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमश: 2

संख्या :1013–(1)–कार्य / चौदह-पाकालि / 2020 तद्‌दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0 / वित्त / वितरण / वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त निदेशकगण (का0प्र0 एवं प्रशा0 / वित्त / वितरण / वाणिज्य), समस्त डिस्काम।
5. अपर सचिव–I,II,III उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध), समस्त डिस्काम।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) / अधीक्षण अभियंता (वितरण), समस्त डिस्काम एवं केस्को, कानपुर।
8. मुख्य अभियन्ता जानपद(पारेषण)–द्वितीय, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता, जानपद(मु0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार), समस्त डिस्काम।
11. अनु सचिव (विज्ञापन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट–www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
14. कट फाइल।

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

[illegible]

[illegible] दिनांक 28 [illegible] 2005

अति महत्वपूर्ण

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2005 [illegible]

[illegible]

(7) विज्ञापन [illegible] का विज्ञापन मानकों पर अंकित [illegible] और [illegible] [illegible] किये जाय।

(8) निविदा सूचनाओं आदि का प्रकाशन समाचार पत्रों में केवल "[illegible]" को [illegible] जाय।

(9) जिन समाचार पत्रों को कारपोरेशन द्वारा मान्यता नहीं दी गई है उन्हें [illegible] कोई विज्ञापन न भेजा जाय, अन्यथा उसका भुगतान सम्भव नहीं होगा, [illegible] दायित्व विज्ञापन जारी करने वाले अधिकारी का होगा।

(10) किसी विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से समाचार पत्र को विज्ञापन प्रेषित न किया जाय अन्यथा विज्ञापन एजेंसी को भुगतान सम्भव नहीं होगा और इसके लिए विज्ञापन जारी करने वाला अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

(11) जिन समाचार पत्रों को कारपोरेशन के विज्ञापनों के लिये प्रतिबन्धित कर दिया गया है उन्हें किसी भी [illegible] में विज्ञापनों का प्रकाशन न कराया जाय।

(12) जिन समाचार पत्रों का भुगतान कारपोरेशन मुख्यालय पर केन्द्रीयकृत है उनका भुगतान सम्बन्धित [illegible] द्वारा न किया जाय।

(13) जो समाचार पत्र कारपोरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त हैं परन्तु उनका भुगतान केन्द्रीयकृत नहीं है उनके बीजकों का सत्यापन एवं भुगतान विज्ञापन जारी करने वाले अधिकारी द्वारा डी०ए०वी०पी०/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ० प्र० द्वारा प्रति वर्ष जारी दर के आधार पर ही किया जाय एवं समाचार पत्रों के बीजकों के भुगतान एवं लेखा जोखा के सम्बन्ध में आप संख्या 81-[illegible]/विज्ञापन/राविम/95 दिनांक [illegible]-1998 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(14) कारपोरेशन की वित्तीय स्थिति को देखते हुए आवश्यक विज्ञापन को कम से कम आकार में प्रकाशित कराये जायें तथा आप संख्या 63-[illegible]/विज्ञापन/[illegible]/2002-2-[illegible]/विज्ञापन/2002 दिनांक 13-3-2002 में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(15) विज्ञापन आदेश की एक प्रति आवश्यक रूप से उप महा प्रबन्धक सम्बद्ध अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० [illegible] कारपोरेशन लिमिटेड, [illegible] भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ को अवश्य पृष्ठांकित की जाय।

उपर्युक्त आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अरुण)

उप महा प्रबन्धक सम्बद्ध
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग लखनऊ

संख्या: 01-ज0स0(विज्ञापन)/[illegible]/2002-19-ज0स0/[illegible] दिनांक: 16 जनवरी, 2002

समस्त- मुख्य महा प्रबन्धक,
- महा प्रबन्धक,
- उप महा प्रबन्धक
- अधिशासी अभियन्ता,
उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।

(अति महत्वपूर्ण)

विषय: -वर्गीकृत विज्ञापनों के प्रकाशन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

विज्ञापन प्रकाशन के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश संख्या 256-ज0स0(विज्ञापन)/[illegible] 91 दिनांक 12-3-91, संख्या 830-ज0स0(विज्ञापन)/राविम/91 दिनांक 20-8-91, संख्या 815 ज0स0(विज्ञापन)/राविम/9[illegible] दिनांक 5-10-93 तथा संख्या 132-ज0स0(विज्ञापन)/राविम/98 दिनांक 23-2-98 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाचार पत्रों को निविदा सूचनाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रकाशन हेतु विज्ञापन आदेश भेजते समय निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :-

(1) टाइप किया हुआ विज्ञापन आदेश निर्धारित प्रारूप पर दो प्रतियों में समाचार पत्र को प्रेषित किये जाये। मूल आदेश पर "प्रथम प्रति" तथा दूसरे पर "द्वितीय प्रति" टाइप किया जाय। विज्ञापन आदेश पर समाचार पत्र का नाम भी टाइप होना चाहिये और जिस समाचार पत्र को भेजा गया है उस पर टिक( ) का निशान लगा दिया जाय ।

(2) विज्ञापन आदेश पर किसी प्रकार की कटिंग होने पर उसे दिनांक सहित हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित किया जाय। करेक्टिंग फ्लूड का प्रयोग न किया जाय ।

(3) वर्गीकृत विज्ञापन हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों में 8-10 प्वाइंट टाइप में तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में 6-8 प्वाइंट टाइप में केवल "एक कॉलम" में रनिंग मैटर में ही प्रकाशित कराये जाय ।

(4) विज्ञापन आदेश पर विज्ञापन जारी करने वाले अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का नहीं) द्वारा ही हस्ताक्षर किये जाये तथा पर्ने करके किसी अन्य हस्ताक्षर से विज्ञापन जारी न किये जाय ।

(5) विज्ञापन आदेश तथा विज्ञापन सामग्री पर अधिकारी की सील लगा कर ही हस्ताक्षर किये जाये ।

(6) निविदा सूचनाओं आदि का प्रकाशन समाचार पत्रों में केवल "एक बार" ही कराया जाय ।

(7) स्थानीय प्रकार की निविदा/सूचना के लिये अधिकतम दो स्थानीय समाचार पत्रों को ही विज्ञापन जारी किये जाय ।

(8) प्रादेशिक व राष्ट्रीय स्तर की निविदाओं के लिये अधिकतम तीन समाचार पत्रों, जिनमें आवश्यकतानुसार दो राष्ट्रीय तथा एक प्रादेशिक अथवा दो प्रादेशिक तथा एक राष्ट्रीय समाचार पत्र, का चयन किया जा सकता है ।

क्रमशः ---2 पर

(9) ग्लोबल निविदाओं [illegible] स्तर के [illegible] समाचार पत्रों तथा भारत सरकार के इण्डियन ट्रेड जर्नल [illegible] जाय। [illegible] संख्या भी कुल मिला कर तीन से अधिक न हो ।

(10) जिन समाचार पत्रों [illegible] को कारपोरेशन द्वारा मान्यता नहीं दी गई है उनमें प्रकाशनार्थ कोई विज्ञापन न [illegible] जाय अन्यथा उसका भुगतान सम्भव नहीं होगा और पूर्ण दायित्व विज्ञापन जारी करने वाले अधिकारी का होगा ।

(11) किसी विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से समाचार पत्र को विज्ञापन न प्रेषित किया जाय अन्यथा विज्ञापन एजेंसी को भुगतान सम्भव नहीं होगा और इसके लिए विज्ञापन जारी करने वाला अधिकारी व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी होगा ।

(12) क्षेत्रीय अधिकारी सजावटी विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिये अधिकृत नहीं हैं अतः सजावटी विज्ञापनों का प्रकाशन क्षेत्रीय स्तर पर न कराया जाय ।

(13) जिन समाचार पत्रों को कारपोरेशन के विज्ञापनों के लिये प्रतिबन्धित कर दिया गया है उनमें किसी भी दशा में विज्ञापनों का प्रकाशन न कराया जाय ।

(14) जिन समाचार पत्रों का भुगतान कारपोरेशन मुख्यालय पर केन्द्रीयकृत है उनका भुगतान क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा न किया जाय ।

(15) जो समाचार पत्र कारपोरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त है परन्तु उनका भुगतान केन्द्रीयकृत नहीं है उनके बीजकों का सत्यापन एवं भुगतान विज्ञापन जारी करने वाले अधिकारी द्वारा डी०ए०वी०पी०/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, द्वारा प्रति वर्ष जारी दर के आधार पर [illegible] किया जायेगा । इन समाचार पत्रों के बीजकों के भुगतान एवं लेखा-जोखा के सम्बन्ध में ज्ञाप संख्या 81-ज0स0(विज्ञापन)/रा0का/98 दिनांक 4-2-98 में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय ।

(16) विज्ञापन के अन्त में ज्ञाप संख्या 256-ज0स0(विज्ञापन)/पा0का0लि0/2001 दिनांक 22-6-2001 द्वारा निर्धारित "नारे" का प्रकाशन अवश्य कराया जाय ।

(17) कारपोरेशन की वित्तीय स्थिति को देखते हुए आवश्यक विज्ञापन ही कम से कम आकार में प्रकाशित कराये जायं ।

(18) विज्ञापन आदेश की एक प्रति सामग्री सहित अनु सचिव(जन सम्पर्क), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ को अवश्य पृष्ठांकित की जाय ।

उपरोक्त आदेशों का प्र[illegible] स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

ह0/-

(दुर्गा प्रसाद)

महा प्रबन्धक सचिव अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रमाणित प्रति

[illegible]

(एस0 एन0 पाण्डेय)

अनु सचिव(जन सम्पर्क)